न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आपूर्ति अपील वाद संख्या–26 / 2013

वकील दास

बनाम

राज्य (अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

आदेश

6.9.16

प्रश्नगत अपील अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक–23मु0/अनु0आ0, दिनांक 07.09.2011, जिसके द्वारा अपीलार्थी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति संख्या–123K/2007 को रद्द किया गया है, के विरूद्ध अनुज्ञप्ति पुर्नजीवित करने के अनुरोध के साथ दायर किया गया है।

अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने के आधार के रूप में अपीलार्थी के विरूद्ध चित्रगुप्तनगर थाना, खगड़िया में प्राथमिकी संख्या–313/2011 दायर किया जाना अंकित है। संसूचित है कि अपीलार्थी द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अंतर्गत काम के बदले अनाज योजना के विरूद्ध अवशेष खाद्यान्न की राशि आवश्यक नोटिस निर्गत करने के बाबजूद जमा नहीं की गयी थी।

अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि उन्होंने C.W.J.C No.-5341/2011 and C.W.J.C No.-13573/2011 में पारित आदेश क्रमशः दिनांक 29.07.2011 एवं दिनांक 23.09.2011 के आलोक में अवशेष राशि दिनांक 17.09.2012 को मो0–42982/–रूपये जमा कर दिया है तथा रसीद संख्या–383584 प्राप्त किया है। उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से अग्रिम जमानत भी प्राप्त है। अपीलार्थी का अनुरोध है कि राशि जमा कर दिये जाने तथा अग्रिम जमानत मिल जाने के आधार पर उनकी अनुज्ञप्ति पुर्नजीवित कर दी जाय।

Receiving for Sitted 20/10/2016

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा भी सुनवाई के क्रम में समरूप अनुरोध प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा यह तथ्य भी प्रकाश में लाया गया कि *"इस वाद में अपीलार्थी के विरूद्ध धारा–409 भा0द0वि0 दर्ज की गई है, न कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उल्लंघन हेतु कोई कार्रवाई की गई है। इसलिए धारा–409 भा0द0वि0 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज होने से अपीलार्थी का अनुज्ञप्ति रद्द किया जाना विधि के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञप्ति रद्द किया जाना न्यायोचित नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।"*

इसके विपरीत विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम), खगड़िया द्वारा स्पष्ट किया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अतिरिक्त अन्य धाराओं में भी आरोपित रहने की स्थिति में जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है। इस दृष्टि से अपीलार्थी का अपील आवेदन खारिज करने योग्य है।

वस्तु स्थिति के परिशीलन हेतु निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। स्पष्ट हुआ कि अपीलार्थी द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अंतर्गत काम के बदले अनाज योजना की अवशेष राशि जमा नहीं की गयी थी और इस संबंध में निर्गत नोटिस

आदेश की क्रम सं0 और तारीख- 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तारीख-सहित 3

का आदर भी नहीं किया गया था। अपीलार्थी के ही कथन के अनुसार दिनांक 17.09.2012 को राशि जमा की गयी परन्तु इसके पूर्व ही उनकी अनुज्ञप्ति रद्द की जा चुकी थी। नोटिस के बावजूद समय राशि का जमा नहीं किया जाना आदेश का उल्लंघन है।

उक्त स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा प्रश्नगत अनुज्ञप्ति को रद्द किये जाने से संबंधित आदेश ज्ञापांक–23अनु0/ अनु0आ0, दिनांक 07.09.2011 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आदेश को यथावत रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया

डी0बी0 09(50) / विधि, दिनांक 6-9-2016

प्रतिलिपि :–अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आदेश की प्रति, जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

6/9/2016

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
खगड़िया।